



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 / 20 फाल्गुन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
DISTRICT BILASPUR, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated the 10th March, 2025

No. I/582233/2025.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(I) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Act, 1946
263—राजपत्र / 2025—11—03—2025 (13929)

Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, IAS, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or retailers in district Bilaspur with immediate effect:—

Sl. No. of the article as per Schedule I of the said order	Name of the Commodities	Maximum Retail Price
12	Meat/Chicken	
	(1) Meat Goat/Bheda	500.00 per kg.
	(2) Meat Pig	300.00 per kg.
	(3) Chicken Dressed	240.00 per kg.
	(4) Broiler Dressed	240.00 per kg.
	(5) Fish Un-Fried	200.00 per kg.
	(6) Fish Fried	380.00 per kg.
	(7) Chicken Alive	150.00 per kg.
17	Cooked Food served in any Dhaba/Establishment	
	(1) Chapati Tandoori	8.00 per chapatti
	(2) Chapati Tawa	7.00 per chapatti
	(3) Prantha Stuffed	20.00 per prantha
	(4) Full Diet (Rice Chapati with Dal & Vegetables)	70.00 Full Diet
	(5) Rice full plate	50.00 per plate
	(6) Dal Fried	60.00 per plate
	(7) Meat Curry	130.00 per plate
	(8) Chicken Curry	110.00 per plate
	(9) Vegetable Special	80.00 per plate
	(10) Matar/Palak Paneer	90.00 per plate
	(11) Two Puri with Sabji/Channa, Dahi	50.00 per plate
(12) Raita	50.00 per dish plate	
18	Milk/Curd/Paneer	
	(1) Milk all brands (In Packets)	As per print rate
	(2) Paneer	300.00 per kg.
	(3) Curd	70.00 per kg.
20	Cold Drinks	
	(1) Cold Drinks of all Brands	As per print rate

Note:—

1. One plate of meat/chicken curry should have 200 grams net meat pieces *i.e.* at least minimum 5 pieces and 100 grams of gravy.
2. Matar Paneer, Palak Paneer etc. must have atleast 100 grams cheese
3. In the packed commodities *i.e.* bread / milk etc., the price, date of packing should be as W & M Commodities package Act, 1976.

4. Every dealer/shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly signed by the owner/manager.
5. On the demand of the customer, every shopkeeper shall issue cash memo/bill to the customer.

This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the Official Gazette.

Sd/-

(ABID HUSSAIN SADIQ IAS),
District Magistrate,
Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

**ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH,
SHIMLA-171 001**

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 26th December, 2024

No. 1-16/2024-86333.— Sanction is hereby accorded to the grant of six days earned leave *w.e.f.* 26th to 31st December, 2024 in favour of Sh. Leela Nand Sharma, Addl. Advocate General with permission to avail prefix *i.e.* gazetted holiday fell on 25th December, 2024.

Certified that Shri Leela Nand Sharma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 6 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Leela Nand Sharma, Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-

(ISHWARI NAND MEHTA).
Senior Addl. Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.

**ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH,
SHIMLA-171001**

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 24th December, 2024

No. 1-19/2023-85464.— *Ex-post-facto* sanction is hereby accorded to the grant of thirteen days earned leave for *w.e.f.* 21st December, 2024 to 2nd January, 2024 in favour of Sh. Yash Pal Dhaulta, Additional Advocate General.

Certified that Sh. Yash Pal Dhaulta, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 13 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Yash Pal Dhaulta, Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-

(ISHWARI NAND MEHTA),
Senior Addl. Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.

**ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH,
SHIMLA-171001**

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 10th December, 2024

No. 1-19/2023-02747.— *Ex-post-facto* sanction is hereby accorded to the grant of one days earned leave for 11th December, 2024 in favour of Sh. Yash Pal Dhaulta, Additional Advocate General .

Certified that Sh. Yash Pal Dhaulta, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 1 day earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Yash Pal Dhaulta, Additional Advocate General was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-

(ISHWARI NAND MEHTA).
Senior Addl. Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.

**ब अदालत व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 15/2025 ना० तह० वाचक उप-तहसील पुखरी/2024/

तारीख दायर : 22-02-2025

इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह, मोहला सुराड़ा, परगना खड़ौठ, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह, मोहला सुराड़ा, परगना खडौठ, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, पैन कार्ड में इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त झुलाड़ा, उप—तहसील पुखरी में मेरा नाम इन्द्रा पुत्री श्री बुधि सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम इन्द्रा पुत्री श्री बुधि सिंह की जगह इन्दु राणा पुत्री श्री बुधि सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त झुलाड़ा को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-02-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
वादि्या।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1068/2025 दिनांक 22-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/3929, दिनांक 18-02-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ—पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 18-02-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 21-02-1975 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका वीना पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव ढनौता, डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

अनिल कुमार पुत्र श्री नीधिया राम, गांव व डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1066/2025 दिनांक 22-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/3928, दिनांक 18-02-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) शिक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक अनिल कुमार पुत्र श्री नीधिया राम, गांव व डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की बेटी सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की बेटी सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-02-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 11-01-2007 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की बेटी सुहानी भारद्वाज पुत्री श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 94/B

राकेश कुमार पुत्र प्रेम सरन, निवासी गांव टारु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

चिराग चेरियां पुत्र दलीप चेरियन, निवासी गांव टारु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. मुकेश कुमार, 2. राकेश कुमार, पुत्र व 3. मीना देवी पुत्री जय किशन व 4. सरला देवी विधवा जय किशन, 5. देश राज, 6. हंस राज, 7. हरबंस लाल, 8. ठाकुर दास पुत्र व 9. कमला देवी, 10. बिक्रमा देवी पुत्रियां सालीग्राम, 11. परस राम, 12. छांगा पुत्र बाजिर, 13. अभिषेक कायस्था पुत्र स्वामी दास, 14. प्रेम नाथ Through LRS (संजीवन गोपाल, किशन गोपाल, मदन गोपाल पुत्र व राजेश्वरी, सुरिंदरा पुत्रियां प्रेम नाथ) 15. मूल राज Through LRS (विनोद कुमार पुत्र मूल राज, निवासी महाल राम नगर, 16. परषोतम चंद, 17. ओम प्रकाश पुत्र व 18. लज्या देवी, 19. पुष्पा देवी, 21. गायत्री देवी, कांता देवी पुत्रियां किरपा, निवासी महाल रामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 76, खतौनी नं0, 160 ता 162, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 00-60-10 है0, वाक्या महाल टारु, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबंदी साल 2016-17.

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र प्रेम सरन, निवासी गांव टारु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

चिराग चेरियां पुत्र दलीप चेरियन, निवासी गांव टारु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र/मुस्त्री मुन्यादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्तवर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समारहता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 44/23

हरी सिंह पुत्र बूटा पुत्र झिजन, निवासी महाल बगयाड़ा, मौजा अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री सरूप चंद पुत्र हरी सिंह, निवासी गांव व डाकखाना जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र व इन्दिरा, सुनीता, रीता पुत्रियां व निक्को पत्नी तानी, गिलमों, अबधों, रीना देवी, श्रेष्ठा देवी, रजनी देवी पुत्रियां कली देवी विधवा श्याम सिंह, गुरबक्श, कुलवंत सिंह, पुत्र व बिमला देवी, बाला देवी, पुत्रियां व अहल्या देवी पत्नी प्रीतम लाल पुत्र छजू, निवासी महाल बगयाड़ा, अवतार सिंह, पुत्र व माया देवी, लीला पत्नी चमारु, निवासी गांव व डाकखाना जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 89, खतौनी नं0, 215, खसरा कित्ता 8, रकबा तादादी 00—28—52 है0, वाक्या महाल बगयाड़ा, मौजा अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबंदी साल 2012—13.

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी हरी सिंह पुत्र बूटा पुत्र झिजन, निवासी महाल बगयाड़ा, मौजा अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बजरिया मुखत्यारे आम श्री सरूप चंद पुत्र हरी सिंह, निवासी गांव व डाकखाना जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र/मुस्त्री मुन्यादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्तवर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 17—03—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समारहता प्रथम श्रेणी
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समारहता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 42/23

हरी सिंह पुत्र बूटा पुत्र झिजन, निवासी महाल बगयाड़ा, मौजा अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री सरूप चंद पुत्र हरी सिंह, निवासी गांव व डाकखाना जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

अवतार सिंह पुत्र व माया देवी, लीला पत्नी चमारु, निवासी गांव व डाकखाना जिया, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 व गिलमों, अबधों, रीना देवी, श्रेष्ठा देवी, रजनी देवी पुत्रियां कली देवी विधवा श्याम सिंह, गुरबक्श, कुलवंत सिंह, पुत्र व बिमला देवी, बाला देवी, पुत्रियां व अहल्या देवी पत्नी प्रीतम लाल, पुत्र छजू, निवासी महाल बगयाड़ा, अवतार सिंह पुत्र व माया देवी, लीला पत्नी चमारु, निवासी गांव व डाकखाना जिया, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 108, खतौनी नं0, 168, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 00—30—91 है0, वाक्या महाल टिकरी, मौजा अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबंदी साल 2013—14.

प्रार्थना—पत्र.—प्रार्थी हरी सिंह पुत्र बूटा, पुत्र झिजन, निवासी महाल बगयाड़ा, मौजा अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 बजरिया मुखत्यारे आम श्री सरूप चंद पुत्र हरी सिंह, निवासी गांव व डाकखाना जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 17—03—2025 को प्रातः 11.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समारहता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समारहता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 65/24

दर्शन लाल पुत्र चिंका पुत्र गिन्दा, निवासी महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

प्यारे लाल पुत्र चिंका, निर्मला विधवा रतन चंद, सुरेश कुमार, रमेश कुमार पुत्र रतो देवी विधवा टेंठ, संजय कुमार पुत्र व इन्दिरा देवी, अनीता देवी, सीमा देवी, सुमन देवी पुत्रियां व कैलाशों देवी विधवा केसरी सिंह, बुधी सिंह, पुत्र व मिसो, काया, निममो देवी, ब्रह्मी देवी पुत्रियां दुली देवी, संध्या देवी पुत्री जेशी, सुभाष चंद, पूर्ण चंद पुत्र रूमी, सुरेखा देवी पुत्री किस्सो, निममो देवी पुत्री दीना नाथ, मखोली पुत्र अतरा निवासी महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 38, खतौनी नं0, 104, खसरा कित्ता 14, रकबा तादादी 00—37—34 है0, वाक्या महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबंदी साल 2012—13.

प्रार्थना—पत्र.—प्रार्थी दर्शन लाल पुत्र चिंका पुत्र गिन्दा, निवासी महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण

को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुन्यादी/इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्तवर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समारहता प्रथम श्रेणी,
एवं तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समारहता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 66/24

दर्शन लाल पुत्र चिंका पुत्र गिन्दा, निवासी महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र चिंका, 2. निर्मला विधवा रतन चंद, 3. सुरेश कुमार, 4. रमेश कुमार पुत्र रतो देवी विधवा टेंठ, 5. इन्दिरा देवी, 6. अनीता देवी, 7. शोभा देवी, 8. सुमन देवी पुत्रियां व 9. कैलाशों देवी विधवा केसरी सिंह, 10. बुधी सिंह पुत्र व 11. मिसो, 12. काया, 13. निममो देवी, 14. ब्रह्मी देवी पुत्रियां दुली देवी, 15. संध्या देवी पुत्री जेशी, 16. सुभाष चंद, 17. पूर्ण चंद पुत्र रूमी, 18. सुरेखा देवी पुत्री किस्सो, 19. निममो देवी पुत्री दीना नाथ, निवासी महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 22, खतौनी नं0, 70, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00-04-22 है0, वाक्या महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबंदी साल 2012-13.

प्रार्थना—पत्र.—प्रार्थी दर्शन लाल पुत्र चिंका पुत्र गिन्दा, निवासी महाल कजलोट, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुन्यादी/इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्तवर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समारहता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 09/2025

दिनांक मरजुआ : 10-02-2025

तारीख पेशी : 04-04-2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री नील चन्द, गांव नौणी फाडी घाटू, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र.—U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री नील चन्द, गांव नौणी फाटी घाटू, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में नानक चन्द लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री नील चन्द है। आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड दस्तावेजों में देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री नील चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में नानक चन्द पुत्र स्व0 श्री नील चन्द के स्थान पर देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री नील चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में नानक चन्द के स्थान पर देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री नील चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 04-04-2025 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 10/2025

दिनांक मरजुआ : 10-02-2025

तारीख पेशी : 04-04-2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री नील चन्द, गांव नौणी फाडी घाटू, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

प्रार्थना पत्र.—U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नील चन्द, गांव नौणी फाटी घाटू, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में नानक चन्द लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नील चन्द है। पंचायत रिकार्ड घाटू में भी देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नीर चन्द दर्ज है। पंचायत रिकार्ड घाटू में भी देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नीर चन्द दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड दस्तावेजों में देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नील चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में नानक चन्द के स्थान पर देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नील चन्द तथा पंचायत रिकार्ड घाटू में भी देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नीर चन्द के स्थान पर देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नील चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में नानक चन्द के स्थान पर देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नील चन्द तथा ग्राम पंचायत रिकार्ड घाटू में देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नीर चन्द के स्थान पर देवी सिंह पुत्र स्व० श्री नील चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 04-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में तथा ग्राम पंचायत घाटू में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नं० : 03/2025

तारीख मजरूआ : 03-03-2025

तारीख पेशी : 07-04-2025

Yogeshwar Chander Sephia s/o Sh. Shyam Singh, r/o Village Manoh, Post Office Bassi,
Tehsil Joginder Nagar, District Mandi, H.P. . .Applicant.

Versus

General Public

. .Responent.

विषयत्र—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

Yogeshwar Chander Sephia s/o Sh. Shyam Singh, r/o Village Manoh, Post Office Bassi, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi, H.P. ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र/शपथी-पत्र गुजार कर यह अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री रिशु सपेहिया का जन्म दिनांक 17-08-1986 को हो हुआ था। लेकिन उसकी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेर घरवासडा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई है। लिहाजा इसे दर्ज करने के आदेश दिये जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त प्रार्थी के दावा बारे किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 07-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन प्रस्तुत कर सकता/सकते हैं। आम जनता की ओर से उपरोक्त दिनांक एवं समय तक कोई भी उजर/एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 03-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 0/2024

तारीख मजरूआ : 21-02-2025

तारीख पेशी : 21-03-2025

तेजिन लोबसांग पुत्र देवा, निवासी मकान नं0 पी 2/578, जरल कलौनी पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र पंचायत पण्डोह में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे इशतहार समाचार पत्र/मुश्री मुनादी।

तेजिन लोबसांग पुत्र देवा, निवासी मकान नं0 पी 2/578, जरल कलौनी पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर यह निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम तेजिन लोबसांग पुत्र देवा जन्म तिथि 10-10-1977 ग्राम पंचायत पण्डोह में हुआ है जोकि ग्राम पंचायत पण्डोह के जन्म परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थी का नाम तेजिन लोबसांग पुत्र देवा जन्म तिथि 10-10-1977 ग्राम पंचायत पण्डोह के परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जावे।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में आम जनता को इस इशतहार मुश्री/मुनादी व राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम तेजिन लोबसांग पुत्र देवा जन्म तिथि 10-10-1977 ग्राम पंचायत पण्डोह के परिवार जन्म रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अससालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे से पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Raj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Manjhera, P.O. Kapahi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)
2. Geeta Devi d/o Sh. Paras Ram, r/o Village Talsai, P.O. Sehli, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Raj Kumar s/o Sh. Nanak Chand, r/o Village Manjhera, P.O. Kapahi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Raj Kumar and Geeta Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 08-05-1997 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-04-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03-03-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

मिसल नं० : 68/2024

तारीख मजरूआ : 31-12-2024

तारीख पेशी : 18-03-2025

गुड्डु राम पुत्र श्री किशन, निवासी गांव भेई, डा० घान, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज करने बारे इशतहार गजट हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय समाचार पत्र/मुश्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669.

वादी गुडु राम पुत्र श्री किशन, निवासी गांव भेई, डा0 घान, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा मेरा जन्म दिनांक 01-01-1991 को गांव भेई, डा0 घान, तहसील सदर, जिला मण्डी में घर पर हुआ है पर अज्ञानतावश/अनजाने में मेरे माता-पिता मेरी जन्म तिथि 01-01-1991 को ग्राम घान के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1991 को ग्राम पंचायत घान में दर्ज करने बारे गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त गुडु राम की जन्म तिथि 01-01-1991 को ग्राम पंचायत घान के रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे से पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 11/2025

तारीख मजरूआ : 31-12-2024

तारीख पेशी : 18-03-2025

रवि पुत्र स्व0 श्री शेष राम, गांव मैगल, डा0 बिजणी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज करने बारे इशतहार गजट हिमाचल प्रदेश, पत्र/मुश्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669.

वादी रवि पुत्र स्व0 श्री शेष राम, गांव मैगल, डा0 बिजणी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा मेरे पिता श्री शेष राम पुत्र डोलू राम की मृत्यु दिनांक 30-11-2023 को हो चुकी है। अज्ञानतावश/अनजाने में मेरे पिता की मृत्यु तिथि 30-11-2023 को ग्राम पंचायत मैगल के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 30-11-2023 को ग्राम पंचायत मैगल, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के पिता की मृत्यु तिथि 30-11-2023 को ग्राम पंचायत मैगल के रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस

न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे से पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 13-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 07/2024

तारीख मजरूआ : 31-01-2024

तारीख पेशी : 18-03-2025

प्रकाश चन्द पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी गांव भरौण, डा0 दुदर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13/3 के अन्तर्गत पंचायत में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दुरुस्ती इशतहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।

प्रकाश चन्द पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी गांव भरौण, डा0 दुदर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जन्म 22-07-1958 को मेरे पैतृक गांव भरौण, डा0 दुदर, तहसील सदर, मण्डी में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश/अनजाने व अनपढ़ता के कारण मेरे माता-पिता इसे ग्राम पंचायत मझवाड़ के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मझवाड़, तहसील सदर मण्डी, हि0 प्र0 को जारी किये जावें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रकाश चन्द जन्म तिथि 22-07-1958 के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी गांव भरौण, डा0 दुदर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 22-07-1958 व नाम को ग्राम पंचायत मझवाड़ के रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई उजर/एतराज प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा दावा में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इशतहार आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 12/2025

तारीख मजरूआ : 18-02-2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

अमीता महाजन पुत्री किशोरी लाल गोयल, म0 नं0 281/1/7 समखेतर नगर, मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे इशतहार/समाचार पत्र में प्रकाशन बारे।

अमीता महाजन पुत्री किशोरी लाल गोयल, म0 नं0 281/1/7 समखेतर नगर, मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जन्म 21-02-1956 को स्थान समखेतर, तहसील सदर, मण्डी, हि0 प्र0 में हुआ है लेकिन नगर निगम मण्डी में मेरा जन्म दर्ज नहीं है। लेकिन अनजाने में मेरे माता-पिता समय पर सम्बन्धित नगर में मेरा नाम व जन्म तिथि दर्ज न करा सके हैं। जिसे अब मैं दर्ज करवाना चाहती हूँ। अतः नगर निगम मण्डी को नाम व जन्म तिथि दर्ज किए जाने के आदेश नगर निगम मण्डी को किये जावें।

वर्णित प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिन का नाम व जन्म तिथि 21-02-1956 के दर्ज करने बारा आम जनता/सर्वसाधारण को गजट हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम व जन्म तिथि 21-02-1956 को नगर निगम मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी में दर्ज करने पर कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निश्चित तिथि के दौरान आम जनता से कोई भी उजर/एतराज प्राप्त न होने पर आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उक्त प्रार्थिया के नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर निगम मण्डी को दे दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 69/2025

तारीख मजरूआ : 21-12-2024

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री भगत सिंह पुत्र श्री आलम दास, निवासी गांव व डा0 पधीयूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री भगत सिंह पुत्र श्री आलम दास, निवासी गांव व डा0 पधीयूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा नाम कागजात माल भूमि खाता/खतौनी नं0 54/56, खसरा नं0 352/226, तादादी 19-18-06 बीघा स्थित महाल जागर, तहसील सदर, जिला मण्डी में मेरा नाम भगत राम पुत्र श्री किशन चन्द दर्ज कागजात माल गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम भगत सिंह पुत्र श्री आलम दास, निवासी गांव व डा0 पधीयूं, तहसील सदर, जिला मण्डी है। मेरे आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर व अन्य महाल कठलग में मेरा सही नाम भगत सिंह पुत्र श्री आलम दास ही दर्ज है जिसे मैं अब दुरुस्त करवाना चाहता हूं जिसे दर्ज करने के आदेश राजस्व महाल जागर को जारी किए जावें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी का नाम व पिता का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम व उसके पिता का नाम श्री भगत सिंह पुत्र श्री आलम दास महाल जागर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह को असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 06/2025

तारीख मजरूआ : 31-01-2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र दिले राम, निवासी गांव व डा0 देवरी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र दिले राम, निवासी गांव व डा0 देवरी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा नाम पंचायत, स्कूल, आधार कार्ड व अन्य मूल प्रमाण-पत्र में मूल असल व सही नाम सुरेन्द्र कुमार है लेकिन राजस्व कागजात माल में मेरा घरेलू नाम मणी राम ही लिखा गया है जोकि गलती से दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने राजस्व कागजात माल की नकल, जमाबन्दी, परिवार रजिस्टर की नकल, शपथ-पत्र साथ में संलग्न किये हैं। अतः महोदय जी से निवेदन है कि प्रार्थी के राजस्व कागजात माल के महाल थटटा, तहसील सदर, जिला मण्डी के राजस्व कागजात माल में मणी राम के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार ही दर्ज करने के लिए आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र दिले राम, महाल थटटा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 02/2025

तारीख मजरूआ : 30-01-2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

सुमित्रा पुत्री स्व0 श्री जगता, निवासी महाल रन्धाड़ा, डा0 रन्धाड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

सुमित्रा पुत्री स्व0 श्री जगता, निवासी महाल रन्धाड़ा, डा0 रन्धाड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में सुमित्रा दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल रन्धाड़ा के खाता नं0 50 व 75 में प्रार्थिया का नाम समीतरू व महाल अलाथू के राजस्व रिकार्ड में खाता नं0 36, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) में प्रार्थिया का नाम सावित्री देवी दर्ज है जोकि गलत दर्ज किया गया है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड महाल रन्धाड़ा तथा पधीयू में मेरा सही नाम सुमित्रा दर्ज किया जाए जिसे दुरुस्त करने के आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम सुमित्रा पुत्री स्व० श्री जगता, महाल रन्धाड़ा तथा पधीयू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

मिसल नं० : 05/2025

तारीख मजरूआ : 27-06-2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री जयपाल पुत्र श्री दलीप चन्द, निवासी म० नं० 264/4, महाजन बाजार मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री जयपाल पुत्र श्री दलीप चन्द, निवासी म० नं० 264/4, महाजन बाजार मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि महाल समखेतर में खाता/खतौनी नं० 47/77 में मेरा घरेलू नाम जय पाल दर्ज है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम जय लाल दर्ज है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि भू-राजस्व रिकार्ड महाल समखेतर में मेरा सही नाम जय पाल उर्फ जय लाल दर्ज करके दुरुस्ती की जाए जिसे दुरुस्त करने के आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम श्री जय पाल उर्फ जय लाल, महाल समखेतर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 13-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 59/2024

तारीख मजरूआ : 13-11-2024

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री योगराज पुत्र किशन, निवासी गांव सैण मौहरी, डा0 आलाथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री योगराज पुत्र किशन, निवासी गांव सैण मौहरी, डा0 आलाथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य मूल प्रमाण-पत्र में मूल असल व सही नाम योगराज है। लेकिन राजस्व कागजात के महाल भलेड में मेरा नाम राज ही लिखा गया है जोकि गलती से दर्ज हुआ है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड के महाल भलेड में मेरा नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम योगराज पुत्र किशन, महाल भलेड के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह को असागतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 02

तारीख दायर : 03-02-2025

तारीख पेशी : 24-03-2025

श्री किशन चन्द पुत्र निम्बलू, निवासी गांव कजौटधार, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारा।

श्री किशन चन्द पुत्र निम्बलू, निवासी गांव कजौटधार, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम महाल कजौटधार/586, पटवार वृत्त नारला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम कृष्ण चन्द पुत्र निम्बलू पुत्र थान्थी दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम किशन चन्द दर्ज हुआ है जोकि सही है। अतः राजस्व अभिलेख में सही नाम कृष्ण चन्द की बजाए किशन चन्द पुत्र निम्बलू, जमाबन्दी महाल कजौटधार/586 में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 24-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पधर,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती मीरा देवी पुत्री परमा नन्द, निवासी गांव करनाल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मीरा देवी पुत्री परमा नन्द, निवासी गांव करनाल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती मीरा देवी का जन्म 01-07-1971 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुफरी को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री महेंदर सिंह पुत्र भादर सिंह, निवासी गांव करनाल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महेंदर सिंह पुत्र भादर सिंह, निवासी गांव करनाल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी श्री महेंदर सिंह पुत्र भादर का जन्म 30-12-1967 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुफरी को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती फुलमा देवी पुत्री हरी सिंह, निवासी गांव सरोंझ, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती फुलमा देवी पुत्री हरी सिंह, निवासी गांव सरोंझ, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती फुलमा देवी का जन्म 18-05-1973 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुफरी को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Salim Muhammad, Executive Magistrate, Sunni, Tehsil Sunni,
District Shimla (H. P.)**

Sh. Balak Ram s/o Sh. Gursahai, r/o Village Bag, P.O. Reog, Tehsil Sunni, Distt. Shimla
H.P. . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Balak Ram s/o Sh. Gursahai, r/o Village Bag, P.O. Reog, Tehsil Sunni, Distt. Shimla H.P. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of applicant in the record of Secretary-cum-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Reog, Tehsil Sunni, District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Sh. Balak Ram	Self	07-09-1960

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Reog may file their objection in writing in this court on or before 20-03-2025 failing which no objection will be entertained after expiry of date and necessary orders will be passed.

Given under my hand and seal of the court on this 20th February, 2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Sunni, Tehsil Sunni, H.P.*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, HPAS Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla Rural, District Shimla (H. P.)**

1. Sh. Jitender Kumar s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Badu, P.O. Toon, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H. P.), aged 21years.

2. Ms. Urmila d/o Sh. Chandermani, r/o Village Swag, P.O. Ghanagughat, Tehsil Arki, District Solan (H. P.), aged 21 years.

Versus

General Public

Registration of marriage under section 8(4)of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Jitender Kumar s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Badu, P.O. Toon, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla H.P. and Ms. Urmila d/o Sh. Chandermani, r/o Village Swag, P.O. Ghanagughat, Tehsil Arki, District Solan, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 08-11-2024, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages, concerned M.C./Gram Panchayat, Tehsil & District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 20th February, 2025.

Seal.

Sd/-
*Additional District Registrar of
Marriages-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).*

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, H. P.**

In the matter of :

Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Hem Singh, r/o Village Kotru, Tehsil Rohru, District Shimla
(H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Hem Singh, r/o Village Kutru, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter date of birth of himself (Suresh Kumar) 29-10-1984 in the record of Birth Register, in Gram Panchayat Karsu, Development Block Rohru.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Suresh Kumar 29-10-1984 they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 24th February, 2025.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS)
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, HPAS Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla Rural, District Shimla (H. P.)**

1. Sh. Ankit Sharma s/o Shri Pawan Kumar Sharma, r/o Jai Bhawan, Ground Floor near Kirtan Niwas, Khalini, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H. P.), age 32 years.

2. Ms. Monisha Sharma d/o Sh. Khem Raj Sharma, r/o Chiranji Building, Main Bazar Totu, Tehsil Shimla (Rural) District Shimla H.P., age 30 years.

Versus

General Public

Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Ankit Sharma s/o Shri Pawan Kumar Sharma, r/o Jai Bhawan, Ground Floor near Kirtan Niwas, Khalini, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H. P.) and Ms. Monisha Sharma d/o Sh. Khem Raj Sharma, r/o Chiranji Building, Main Bazar Totu, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 12-10-2024, at Celebs Resort Shoghi, Shimla but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, concerned M.C./Gram Panchayat, Tehsil & District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 21st February, 2025.

Seal.

Sd/-
Additional District Registrar of
Marriages- cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, HPAS Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla Rural, District Shimla (H. P.)**

1. Sh. Yogesh Mahant s/o Shri Kishor Dass Mahant, r/o Village Koti, P.O. Badhari, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H. P.), age 35 years.

2. Ms. Priyanka Devi d/o Sh. Babu Lal, r/o Village Dungsa, P.O. Summer Kot, Tehsil Rohru, District Shimla H.P., age 29 years.

Versus

General Public

Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Yogesh Mahant s/o Shri Kishor Dass Mahant, r/o Village Koti, P.O. Badhari, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H. P.) and Ms. Priyanka Devi d/o Sh. Babu Lal, r/o Village Dungsa, P.O. Summer Kot, Tehsil Rohru, District Shimla H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 07-10-2024, at Durga Mandir trust Rivoli Road Lakkar Bazar Shimla, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, concerned M.C./Gram Panchayat, Tehsil & District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objections

personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 21st February, 2025.

Seal.

Sd/-

*Additional District Registrar of
Marriages-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).*

**In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Bishnu Kumari Oli w/o Sh. Dev K C, r/o Jaspal Niwas, 113/1, Krishna Nagar,
Shimla-1, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Bishnu Kumari Oli w/o Sh. Dev K C, r/o Jaspal Niwas, 113/1, Krishna Nagar,
Shimla-1, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for
registration of date of death of her brother namely Kamal Singh (DOD-28-11-2024) at Jangal Near
Pump House, Near IGMC Shimla, H.P. in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person
having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in
writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official
Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided
accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 27th February, 2025.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 3/13(3) of 2024

तारीख मजरूआ : 27-01-2025

तारीख पेशी : 05-03-2025

प्रार्थिया श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री मान सिंह और श्रीमती जिया मंती, निवासी बारथल मधाना,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थिया श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री मान सिंह और श्रीमती जिया मंती, निवासी बारथल मधाना, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्राम पंचायत मधाना में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 29-10-1964 को ग्राम पंचायत मधाना में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत मधाना में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 15-03-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रकाश चंद, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पञ्जाता स्थित नौहरी,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती ममता पत्नी तारा दत्त, निवासी डाकघर जदोल टपरोली, उप-तहसील पञ्जाता, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

प्रार्थिया ममता पत्नी तारा दत्त, निवासी डाकघर जदोल टपरोली, उप-तहसील पञ्जाता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र बजरीया मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक: एच.एफ.डब्ल्यू-एन/एस.टी./बी. एण्ड डी./डिलेय केसिस/2024-3415, दिनांक 24-07-2024 द्वारा अनुलगनों सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उनके पुत्र हर्ष का जन्म दिनांक 19-09-2012 को हुआ है। जिसके जन्म का इन्द्राज अज्ञानतावश जन्म अभिलेख ग्राम पंचायत जदोल-टपरोली, उप-तहसील पञ्जाता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मार्फत हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त तिथि जन्म पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-03-2025 को

या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत जदोल टपरोली को उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री प्रकाश चंद नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पझौता स्थित नौहरी,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती ममता पत्नी तारा दत्त, निवासी डाकघर जदोल टपरोली, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

प्रार्थिया ममता पत्नी तारा दत्त, निवासी डाकघर जदोल टपरोली, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन-पत्र बजरीय मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक: एच.एफ.डब्ल्यू-एन/एस.टी./बी. एण्ड डी./डिलेय केसिस/2024-3416, दिनांक 24-07-2024 द्वारा अनुलगनों सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उनकी पुत्री शिवन्या का जन्म दिनांक 19-08-2015 को हुआ है। जिसके जन्म का इन्द्राज अज्ञानतावश जन्म अभिलेख ग्राम पंचायत जदोल-टपरोली, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार मार्फत हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त तिथि जन्म पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत जदोल टपरोली को उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा श्री सुनील पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव व ग्राम पंचायत बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुनील पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव व ग्राम पंचायत बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपने बेटे शिवांश ठाकुर का नाम व जन्म तिथि 02-05-2020 को ग्राम पंचायत बेला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के बेटे का नाम व जन्म तिथि 02-05-2020 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 27-03-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बेटे का नाम व जन्म तिथि 02-05-2020 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मन मोहन जिष्टू)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0: /2025

श्री राजेश पुत्र रंगीलाल, निवासी खोडरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री राजेश पुत्र रंगीलाल, निवासी खोडरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-11375, दिनांक 15-02-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 10-07-1977 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत खोडरी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असागतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में राजेश पुत्र रंगीलाल, निवासी खोडरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 /2025

श्रीमती रानी कौर पत्नी हंसा सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 6, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती रानी कौर पत्नी हंसा सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 6, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-10716, दिनांक 27-01-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र जिनका नाम अजय है की जन्म तिथि 09-04-2005 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में अजय पुत्र हंसा सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 6, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Assistant Collector Ist grade, Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Ram Lal s/o Jalam Singh, r/o Village Kulthina, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur,
Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for correction of name in pariwar register of applicant.

Whereas, Ram Lal s/o Jalam Singh, r/o Village Kulthina, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh has filed an application alongwith copy of his Aadhar Card, Pariwar register and Voter card in the court of the undersigned to correct his father's name as Jalam Singh in place of Mohiram in his pariwar register of Gram Panchayat Kandela Adhwad, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to correct name of applicant's father as Jalam Singh in place of Mohiram in Gram Panchayat record of Village Kandela Adwar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) then they should appear before the court of undersigned on or before 24-02-2025, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 24-01-2025.

Seal.

RISHABH SHARMA,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunita Grover w/o Sh. Jitender Kumar, r/o Village Ravi Niwas, Gandhi Mohalla, Solan (H.P.) have changed my name from Sunita Grover to Sunita Devi.

SUNITA GROVER
w/o Sh. Jitender Kumar,
r/o Village Ravi Niwas,
Gandhi Mohalla, Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bindra Devi w/o Sh. Durga Dass, r/o Village Kohla, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered in my Aadhar Card as Maya Devi instead of Bindra Devi. Bindra Devi is my correct name. Concerned may note.

BINDRA DEVI
w/o Sh. Durga Dass,
r/o Village Kohla, P.O. Kanaid,
Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamal Kishor s/o Sh. Prem Singh, r/o Village Behna, P.O. Behna, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) my minor son's name Daksh Rawat Aadhar No. 577358355161 wrongly entered. Correct name is Varun.

KAMAL KISHOR
s/o Sh. Prem Singh,
r/o Village Behna, P.O. Behna,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Krishan Leela w/o Sh. Bhupinder Singh (39), r/o Village & P.O. Meeru, Sub-Tehsil Tapri, District Kinnaur (H.P.) declare that I have changed the name of my son from Daksh to Daksh Negi. All concerned please note.

KRISHAN LEELA
w/o Sh. Bhupinder Singh,
r/o Village & P.O. Meeru,
Sub-Tehsil Tapri, District Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Krishanu s/o Sh. Moti Ram, r/o Village Kathla, P.O. Kandagai, Tehsil Aani, District Kullu (H.P.) have changed my daughter's name from Banshika Sojal to Vanshika Sojal with immediate effect for all purposes. All concerned please note.

KRISHANU
s/o Sh. Moti Ram,
r/o Village Kathla, P.O. Kandagai,
Tehsil Aani, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar (43) s/o Sh. Bal Krishan, r/o Ghuggar Tanda, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that my name is entered in my daughter Vanshika's Matric Examination certificate is Sanjeev Mehra. But my actual/correct name is Sanjeev Kumar. All be noted.

SANJEEV KUMAR
s/o Sh. Bal Krishan,
r/o Ghuggar Tanda,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Payal d/o Sh. Chander Jheta, r/o Village Gastari, P.O. Pouria, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) have changed my name from Kumari Payal to KM Payal.

KUMARI PAYAL
d/o Sh. Chander Jheta,
r/o Village Gastari, P.O. Pouria,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gulabi Ram s/o Sh. Shyam Chand, r/o Village Khairi, P.O. Delgi, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Gulabi Ram to Gulab Singh.

GULABI RAM
s/o Sh. Shyam Chand,
r/o Village Khairi, P.O. Delgi,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kartika Kapoor (36 years) w/o Sh. Anurag Sood, r/o Opp. CBI Office, Ram Nagar, Dharamshala, District Kangra (H.P.) have changed my name from Kartika Kapoor to Kartika Sood. Please note.

KARTIKA KAPOOR
w/o Sh. Anurag Sood,
r/o Opp. CBI Office, Ram Nagar,
Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjna Kumari w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Chamarari, P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Anjana Kumari to Anjna Kumari for all purposes in future. Please note.

ANJNA KUMARI
w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Village Chamarari,
P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prem Sukh s/o Sh. Gurdev, r/o Village Paprahal, P.O. Marathu, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Janabi to Jahanvi for all purposes in future. Please note.

PREM SUKH
s/o Sh. Gurdev,
r/o Village Paprahal, P.O. Marathu,
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Neelam Kumari d/o No. 2474831N NK (TS) Sh. Chaman Lal (Retd.), r/o Village Naqran, P.O. Kashmir, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that in Army records of my father my name wrongly entered as Ramha Rani, whereas my correct name is Neelam Kumari. Please note.

NEELAM KUMARI
d/o Sh. Chaman Lal,
r/o Village Naqran, P.O. Kashmir,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

वन विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 5 मार्च, 2025

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-1/2023.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-1/2023 दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 जोकि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को पृष्ठ संख्या 9913 से पृष्ठ संख्या 9923 में प्रकाशित हुई थी, के हिन्दी में प्रकाशित पृष्ठ संख्या 9918 एवं अंग्रेजी में प्रकाशित पृष्ठ संख्या 9923 की अनुसूची के क्रम संख्या 27 के कॉलम संख्या 5 में वर्णित खसरा संख्या 291/1 और 511/1 के बीच में खसरा संख्या 398/1 के स्थान पर 348/1 पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पंत, भा0प्र0से0,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

FORESTS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 5th March, 2025

No. FFE-B-F(14)-1/2023.—*Vide* this Department Notification No. FFE-B-F(14)-1/2023 dated 03-10-2023, published in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh on 15th November, 2023 from Page No. 9913 to 9923, in which Khasra Number published at Column No. 5 of Sr. No. 27, as 398/1 between Khasra No. 291/1 and 511/1 in Hindi version at Page No. 9918 and in English version at Page No. 9923, may be read as 348/1 instead of 398/1.

By order,

KAMLESH KUMAR PANT
Addl. Chief Secretary (Forests) .

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th March, 2025

No. 40245 (Year-2021).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Dr. Sudershan Sharma, Professor & Head of the Department of Pathology at IGMC Shimla, is deemed retired from Government service on 28-02-2025 (AN) upon attaining the age of superannuation, as his date of birth is recorded as 17-02-1963.

By order,

M. SUDHA DEVI,
Secretary (Health).

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 11th March, 2025*

No. 233244 (Year-2024).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of **02 (two) posts of Senior Residents in the Department of Gastroenterology at Atal Institute of Medical Super Specialties (AIMSS) at Chamiana, Shimla**, in the pay scale of **₹ 56,100 - ₹ 1,77,500 (Level-18)**, with immediate effect, in the public interest.

The above newly created posts of Senior Residents shall be filled up in accordance with the Resident Doctor Policy and any subsequent amendments or clarifications issued or notified by the Government from time to time.

This issues with the prior concurrence of Department of Finance (Expenditure Control-II), Himachal Pradesh obtained vide UO No.: 56225400-Fin-F-2025, dated 21-02-2025.

By order,

M. SUDHA DEVI,
Secretary (Health).